



कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 009
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009

दूरभाष/TELE: 040-27843385

फैक्स/FAX:040-27817275



सं. प्रशा/1/1031/MACP पत्राचार

दिनांक: 09.05.2023

परिपत्र

सेवा में,

1. र.ले.नि., आई.टी.एस.डी.सी., सिकंदराबाद ।
2. र.ले.नि., सिकंदराबाद के अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालय
3. मुख्य कार्यालय के सभी ग्रूप अधिकारी/व.ले.अ./स.ले.अ./ अनुभाग

विषय : पिछली प्रोन्नति के बाद 10 वर्षों की सेवा की पूर्ति पर अथवा 20/30 वर्षों की सेवा के अर्जन के उपरांत संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) प्रदान किए जाने के संबंध में ।

संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP Scheme) के अधीन यह परिकल्पना की गई है कि श्रेणी 'ख' और 'ग' कर्मचारियों द्वारा 10, 20 और 30 वर्षों की नियमित सेवा की समाप्ति पर उन्हें तीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाएं ।

2. योजना के अनुसार, कर्मचारी की सीधी भर्ती की पद से उनके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान इन तीन वित्तीय उन्नयनों को उनकी नियमित प्रोन्नति के समान गिना जाएगा ।

3. इस योजना के अधीन यह वित्तीय उन्नयन उस समय देय होगा जब कर्मचारी ने उसी ग्रेड वेतन में 10 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो । पहले वित्तीय उन्नयन की तारीख से 10 वर्षों की नियमित सेवा के उपरांत दूसरा वित्तीय उन्नयन देय होगा । उसी प्रकार दूसरे वित्तीय उन्नयन की तारीख से 10 वर्षों की नियमित सेवा के उपरांत तीसरा वित्तीय उन्नयन देय होगा । यदि कर्मचारी के सक्षम न होने के कारण अथवा विभागीय कार्यवाही के कारण उनका पहला वित्तीय उन्नयन लंबित किया जाता है तो इसका वित्तीय लाभ भी अनुवर्ती प्रभाव से दिया जाएगा और तदनुसार दूसरा और तीसरा वित्तीय उन्नयन भी आस्थगित किया जाएगा ।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि जिन कर्मचारियों को पहले ही यह लाभ मिल चुका है उनके नाम दोबारा न भेजे जाएं । कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय/अनुभाग में सेवारत कोई भी कर्मचारी जो इस लाभ को पाने का पात्र है, वह छूट न जाए । शून्य रिपोर्ट भी भेजना आवश्यक है ।

इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालय की स्थिति की समीक्षा करें और MACP योजना के अधीन जो भी अधिकारी/कर्मचारी लाभ पाने के पात्र हैं, जो दिनांक **31.12.2023** तक इस योजना के अधीन आते हैं, उनके विवरण **दिनांक 25.05.2023** तक इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

..... MACP लाभ को प्रदान करने के लिए का ब्यौरा दर्शाती विवरणी
(1st/2nd/3rd) (पदनाम)

क्रम सं.	नाम, पदनाम व लेखा सं.	र.ले.वि. में नियुक्ति की तारीख व पद	31.12.23 तक अर्हक सेवा की अवधि	तारीख व पद के साथ प्रोन्नतियाँ, (यदि कोई हों तो)	तथावत/ACP/MACP प्रोन्नति (1 st /2 nd) की तारीख	पिछले विभाग में नियुक्ति की तारीख/ पद (यदि कोई हों तो)

ग्रूप अधिकारी ने देख लिया है ।

रामा
(के. रामकृष्णा)
लेखा अधिकारी (प्रशा)